(d) Criminal cases have been registered and also departmental enquiries initiated against the escorts for the escape of the undertrials from their custody. However, no connivance of escorts has been found in these cases. The following steps have been taken to check such escapes in future :—

(i) The staff leaving for escort duties in the morning is daily briefed by the Reserve Inspector, who also checks the Jail Vans.

(ii) At the Central Jail, the staff is briefed by the Inspector Jail Guard and checking of the Jail vans is done again.

(iii) Regular refresher training courses on the escort, production and safe custody of undertrial are being run in the Battalion to alert the staff against various tactics adopted by the criminals to manage their escape.

(iv) Circulars and instructions are also sent to the Incharges of Lock-ups from time to time for passing on to the escort staff.

Foreign Nationals in the Electoral List

2318. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that more than lakhs of foreign nationals are residing in Delhi and their names have been included in the voter lists and if so, the details thereof;

(b) whether the Electoral Office has since verified the electoral list, and if so, what is the exact number of foreign nationals found as a result thereof;

(c) what steps Government propose to deport such foreigners who are staying in Delhi and the Number of such persons deported during the last three months; and

(d) by when, the remaining persons are proposed to be deported ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) and (b) As per the provisions of Representation of People Act, 1950, the names of only the citizens of India are included in the Electoral Rolls. In the National Capital Territory of Delhi, *De-Novo Intensive Revision of Electoral* Rolls was undertaken in all the 70 Assembly Constituencies, on the directions of the Election Commission. The Draft Electoral Rolls were verified by the police authorities and the names of those persons who could not prove that they are citizens of India, were deleted from the Draft Electoral Rolls. The Electoral Rolls were finally published on 31-10-1994. The Election Commission of India has ordered Special Revision of Electoral Rolls in seven Assembly Constituencies and the final Electoral Rolls in these seven constituencies will be published on 29-12-1994.

(c) and (d) The Government have requested all State Governments and Union Territory Administrations to launch a special and vigorous drive to detect and deport foreign nationals staying illegally in the country. In the National Capital Territory of Delhi, 501 such foreign nationals have been deported to their countries during the last three months. Such foreign nationals are deported as soon as they are detected.

दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन

2319. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला :**

श्री आस मोहम्मद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत बारह महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और धारा 151, दोनों धाराओं अथवा अलग-अलग धाराओं का उल्लंघन करने पर कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उनके द्वारा किए जा रहे अपराध का विशिष्ट स्वरूप क्या था जिसे किसी अन्य तरीके से रोका नहीं जा सकता था;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि पुलिस अधिकारी इस शक्ति का दुरूपयोग न कर सके; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 131 का दुरूपयोग करने के दोषी पाए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) दंड प्रक्रिया संहिता धारा 107/151 के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

माह	गिरफ्तार व्यक्ति
दिसम्बर, 93 . . .	602
जनवरी, 94 . . .	496
फरवरी, 94 . . .	470
मार्च, 94 . . .	830
अप्रैल, 94 . . .	749
मई, 94 . . .	587
जून, 94 . . .	767
जुलाई, 94 . . .	539
अगस्त, 94 . . .	1225
सितम्बर, 94 . . .	2084
अक्तूबर, 94 . . .	714
नवम्बर, 94 (30-11-94 तक) .	417

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अधीन गिरफ्तारियां तब की गई जब शांति भंग होने की आशंका थी जिसे अन्यथा नहीं रोका जा सकता था।

(ख) दंड प्रक्रिया संहित की धारा 107/151 के अधीन गिरफ्तारियों के आधारों का सत्यापन, सब डिविजनों के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्ष (1991, 1992 और 1993) के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के दुरूपयोग के लिए 13 पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए हैं।

कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण किया जाना

2320. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार कारागार प्रशासन का, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, आधुनिकीकरण करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हा, तो इस योजना का प्रारूप क्या है तथा योजना का कार्यान्वियन होने के बाद सामान्य कैदियों, राजनैतिक कैदियों और किसी अन्य श्रेणी के कैदियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा इस सम्पूर्ण योजना को लागू करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इसमें कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) और (ख) "जेल" राज्य का विषय है अतः सभी प्रकार के कैदियों को सुविधाएं स्वयं राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, उनकी अपनी जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है। तथापि अपने जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की एक योजना चलाई हुई है जिसके अंतर्गत जेलों की स्थिति सुधारने, सुरक्षा, संचार व्यवस्था मजबूत बनाने, पुराने जेल भवनों की मरम्मत और नवीकरण करने, चिकित्सकीय देखभाल, तन्दुरुस्ती और स्वास्थ्य की देखभाल करने, निर्माण कार्यक्रमों, जेल में स्थित उद्योगों के आधुनिकीकरण, महिला अपराधियों को सुविधाएं देने आदि के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1987—92 की अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पहले ही प्रदान की जा चुकी 45 करोड़ रु० की वित्तीय सहयता के अलावा, इस उद्देश्य के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 100 करोड़ रु० तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

ईसाई संगठनों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता

2321. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक ईसाई संगठन विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लागू नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन नियमों और कानुनों का उल्लंघन करने संबंधी कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से ऐसी निधियों की कितनी राशि प्राप्त की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट : (क) जी हा, श्रीमान।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, के अधीन निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम वाली संस्थाएं विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकती हैं बशर्ते कि ऐसी संस्थाएं उपरोक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत हों या उन्होंने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो।

(ग) संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिटनों की संवीक्षा करने पर उल्लंघनों के निम्नलिखित मामलो का पता चला है :—

1992-93	.	.	.	13
1993-94	.	.	.	13

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई विदेशी अभिदाय की कुल राशि निम्न प्रकार है :—

1990-91	.	945.47 करोड़ रूपये।
1991-92	.	1412.13 करोड़ रूपये।
1992-93	.	1584.30 करोड़ रूपये।

Spread of Cholera in Jammu and Kashmir

2322. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government has drawn the attention to the news-item appeared in the Indian Express dated 25th September, 1994 captioned "Cholera gastro claim 250 lives in Jammu and Kashmir";

(b) if so, the details thereof and reasons therefor; and